न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 09 सन 2021
अनवान :–

1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 22/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151/153 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117/117 की कुल 6.8310हैक भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सतवीर दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सत्यनारायण है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151/153 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117/117 की कुल 6.8310हैक भूमि में वादी का नाम सतवीर के स्थान पर सत्यनाराण संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151/153 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117/117 की कुल 6.8310हैक भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सतवीर दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सत्यनारायण है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151/153 की कुल 1.5180हैक्ट एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117/117 की कुल 6.8310हैक्ट भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम सतवीर दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम सत्यनारायण है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सायल ने अपने नाम के नाम संशोधन के सम्बध में सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार सायल का नाम सत्यनारायण होना प्रतीत होता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151/153 की कुल 1.5180हैक्ट एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117/117 की कुल 6.8310हैक्ट भूमि में सायल का नाम सतवीर पुत्र रामलाल अंकित है के स्थान पर सत्यनाराण उर्फ सतवीर पुत्र रामलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया/ ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 136 LRA / 09 दिनांक :– 22/03/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 09 / 2020 अनवानी सत्यनारायण बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 09 / 2020 अनवानी सत्यनारायण बनाम सरकार में दिनांक 22/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या151 / 153 की कुल 1.5180हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 117 / 117 की कुल 6.8310हैक भूमि में सायल का नाम सतवीर पुत्र रामलाल अंकित है के स्थान पर सत्यनाराण उर्फ सतवीर पुत्र रामलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर